

भूतपूर्व सैनिकों के मरणोपरांत उनके निकटतम आश्रितों को अंतिम संस्कार निभाने हेतु एकीकृत निधि से ₹ 10,000/- (दस हजार रुपये) मात्र आर्थिक सहायता स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र।
(कृपया मृत्यु के छः मास के अन्दर जमा करें)

भाग - "क"

(विधवा/निकटतम आश्रित का विवरण)

हाल का पासपोर्ट
फोटो चिपकाए

1. भूतपूर्व सैनिक/पति का न०रैंकनाम
अलंकरण
2. अभिलेख कार्यालय/रेजिमेंट/कोर
3. सेना में भर्ती की तिथि
4. सेना से सेवा निवृत्ति की तिथि एवं कारण
5. मृत्यु की तिथि एवं कारण
6. निकटतम आश्रित/आवेदिका का नाम
7. स्थाई पता (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पर छायाप्रति संलग्न करें) :
ग्राम पोस्टजिला
पिन मोबाईल नं०

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है तथा इस मद में मैंने और किसी स्रोत से अनुदान नहीं लिया है।

दिनांक :

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर एवं नाम

नाम :

नोट : आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

1. डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति
2. जि०सै०क०का० द्वारा जारी पहचान पत्र
3. मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति
4. पेंशन अदायगी आदेश (PPO) की छायाप्रति
5. बैंक पास बुक के पहने पन्ने की छायाप्रति
6. आधार कार्ड की छायाप्रति

खण्ड – "ख"

(जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के व्यवहार हेतु)

कल्याण व्यवस्थापक का जाँच प्रतिवेदन

8. आवेदक का विवरण जाँचा गया तथा सही पाया गया/सही नहीं पाया गया है। इस आवेदक को ₹ मात्र (रूपये मात्र) की एक मुश्त आर्थिक सहायता भुगतान हेतु अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है। इनका नाम कार्यालय पंजी के क्रमांक दर्ज है।

दिनांक : (कल्याण व्यवस्थापक का नाम एवं हस्ताक्षर)

(जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी की अनुशंसा)

9. कल्याण व्यवस्थापक श्री के जाँच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर आवेदक को ₹/— (रूपये.....मात्र) एक मुश्त भुगतान करने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी,

खण्ड – "ग"

सैनिक कल्याण निदेशालय

10. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, संलग्न दस्तावेजों, अन्य साक्ष्य अभिलेखों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर ₹(रूपये मात्र) आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : सहायक निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय
झारखण्ड, राँची

11. आवेदक के आवेदन, संलग्न दस्तावेजों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी और सहायक निदेशक के अनुशंसा उपरांत आवेदक को ₹(रूपये मात्र) आर्थिक सहायता भुगतान को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक : निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय
झारखण्ड, राँची